शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त ...
अप्रासंगिकता / प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।

उत्तर – अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संसार में स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राज्यों को प्राथमिक
इकाइयाँ कहा जाता है। प्रत्येक राज्य का मुख्य कार्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना
होता है। तथा इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग भी करता है।
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं की स्वतंत्र एवं सम्प्रभु होने के कारण राज्य जो चाहे
और जैसे मनमानी करें। उसको सीमित करने के लिए बहुत से कारक कार्य करते हैं
जैसे शक्ति सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय
नैतिकता और विश्व जनमत आदि। संक्षेप में राज्य / राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति के
कारण राजनीतिक जगत में मनमाना आचरण नहीं अपना सकता क्योंकि उपरोक्त
कारण राष्ट्रीय शक्ति को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने देते।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन उतना ही पुराना है
जितना सम्प्रभु राज्यों का अस्तित्व। सबसे पहले शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त का
उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप में किया गया यह सिद्धान्त 18वीं शताब्दी में
खुलकर सामने आया यानि राष्ट्र इन्हें गम्भीरतापूर्वक लेने लगे। 1848 में वेस्टफेलिया
की सन्धि में इसका खुलकर प्रयोग हुआ। इस तरह विश्व ने इसको स्वीकार कर
लिया। जैसे आज यह सिद्धान्त अपने अन्तिम चरण में है जबकि कुछ विद्वानों
का कहना है कि यह सिद्धान्त लुप्त होता जा रहा है। संक्षेप में, यह कहना गलत
न होगा कि शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की धारणा विश्व बुनियादी विश्वराजनीति
का एक बुनियादी नियम है।

शक्ति सन्तुलन की परिभाषा – सामान्य शब्दों में राष्ट्रों के बीच शक्ति के समान
वितरण को शक्ति सन्तुलन माना जाता है। तथा विशेष स्थिति में इसका अर्थ
यह माना जाता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर छा जाना।

मार्गेन्थो के अनुसार – " प्रत्येक राष्ट्र यथास्थिति (जैसा है वैसा रहे) को बनाये रखने
अथवा बदलने के लिए दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त करने की
उम्मीद रखता है। "

कुछ लेखक इसे विश्व सम्बन्धों के यथार्थवाद के एक प्रतीक के रूप में देखते हैं।
इन सब परिभाषाओं के बाद Quincy Wright ने 5 आग्रहों
का उल्लेख किया है वे बहुत महत्वपूर्ण है –

(i) प्रत्येक राष्ट्र अपने मार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है वह स्वयं की
इतनी सुरक्षा हर मूल्य यानि युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, पर करता है। यहाँ हर मूल्य
का अर्थ है सब उपलब्ध सम्भव साधन के द्वारा रक्षा करना।

(ii) राष्ट्र के हितों पर सदैव काले बादल मंडराते रहते हैं यहाँ यह माना जायेगा
कि राष्ट्र के हित खतरे से दूर नहीं।

(iii) राष्ट्र अपने हितों को शक्ति सन्तुलन के द्वारा या फिर दूसरे राज्यों को युद्ध का
डर दिखाकर सुरक्षित रखता है यह तब होता है जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र
को अपने आप को अधिक ~~शाली~~ शक्तिशाली समझता है या होता है।

(iv) एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की शक्ति को नाप सकने में काफी हद तक सफल होता है
इसके साथ यह लाभ होता है कि विश्व के राजनीतिक तत्वों को अपने अनुकूल
सन्तुलित करने में शक्ति माप काम में आता है।

(v) राज्य के नेता अपनी विदेश नीति के फैसले या निर्णय शक्ति सम्बन्धी तथ्यों
की समझ के आधार पर कर लेते हैं।

शक्ति सन्तुलन के उपाय – (1) शस्त्रास्त्रों का भण्डार या निःशस्त्रीकरण
(2) अधिकाधिक प्रदेशों पर कब्जा कर लेना या क्षतिपूर्ति।

Scanned with CamScanner

3. मध्यवर्ती का स्वरूप या रूपक (कन्स्टिट्यूशनल) — तटस्थ रहना
4. मैत्री/सन्धियों का गठबन्धन — आक्रमणात्मक सन्धि तथा, अनाक्रमणात्मक सन्धि
5. हस्तक्षेप — 6. फूट डालो और शासन करो 7. सन्तुलनकर्ता / बैलेन्सर

मूल्यांकन – शक्ति सन्तुलन के समर्थक इसकी वकालत करते हुए कहते हैं —

1. शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता को जन्म देता है।
2. शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति के अनुरूप है।
3. यह राष्ट्रों की बहुसंख्या सुनिश्चित रखता है। यह राष्ट्रों में शान्ति कायम रखने के लिए उनके सक्रिय सहयोग को सुनिश्चित रखता है।
4. कमजोर तथा छोटे राष्ट्रों की सम्प्रभुता को सुरक्षित रखता है।
5. यह सिद्धान्त युद्ध को हतोत्साहित करता है।
6. यह साम्राज्यवाद पर अंकुश लगाती है।
7. यह शान्ति का स्रोत भी है।

शक्ति सन्तुलन के अपवाद स्वरूप आलोचकों इसे अस्पष्ट, अनिश्चित, अवास्तविक तथा अपर्याप्त सिद्धान्त बताते हैं। यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाये रखने में सक्षम नहीं है। आलोचक इस सिद्धान्त की व्यावहारिक कुशलता का भी खण्डन करते हैं — इसके दोष निम्न हैं —

1. शक्ति सन्तुलन निश्चितता नहीं कर सकता, जो राष्ट्र शान्ति, लोकतन्त्र, और मानवीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इच्छुक हैं उन्हें कोई और साधन अपनाने चाहिए, जिससे वह सुरक्षित हो सके।
2. राष्ट्र स्थिर इकाई नहीं है। राष्ट्र कई अन्य साधन अपनाकर अपनी आन्तरिक शक्ति की वृद्धि कर लेते हैं वह केवल शक्ति सन्तुलन पर निर्भर नहीं हैं।
3. एक शक्तिशाली तथा सुपर पावर की प्रधानता से भी शान्ति कायम रखी जा सकती है।
4. शक्ति सन्तुलन अन्य पक्ष आर्थिक आदि की अवहेलना करता है।
5. शक्ति सन्तुलन विश्व शान्ति को एक यान्त्रिक ढ़ांचे का स्वरूप प्रदान करता है। जबकि विश्व शान्ति एक मानवीय आदर्श है।
6. राज्यों की शक्ति एक समान न तो होती है, न होगी।
7. राष्ट्र अपनी इच्छानुसार सन्धियों को भंग नहीं कर सकते।

शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की वर्तमान प्रासंगिकता – इस सिद्धान्त के दो मत हैं —

1. यह सिद्धान्त अब भी एक मौलिक सिद्धान्त है जो कि राष्ट्रों द्वारा अपने सम्बन्धों में संचालन किया...
2. आज के युग में इतने अधिक और शीघ्र परिवर्तन होते हैं कि उनका प्रभाव इस शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त पर भी पड़ा है और इतने परिवर्तनों ने इसे किया है इसलिये अब यह अप्रासंगिक हो गया है विभिन्न जो परिवर्तन हुए हैं वे इस प्रकार हैं — (1) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप के बोलबाले का अन्त और वास्तविक विश्वस्तरीय राजनीति का उदय। (2) वर्तमान में अन्तर अब राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय हितों के विचार दूसरे राष्ट्रों से मनवाना अपना अधिकार समझते हैं। (3) कई नये उपकरणों का राष्ट्रीय नीति के रूप में जन्म होना जैसे प्रचार मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक युद्ध आदि। (4) आज के युग में विचारधारा का मुख्य तत्व के रूप में सामने आना (5) महान शक्तियों की संख्या में लगातार कमी (6) एक ध्रुवीकरण का जन्म (7) उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का लुप्त होना (8) सन्तुलक भी लुप्त हो गये हैं। (9) युद्ध की धारणा में नया मोड़ और वह है सम्पूर्ण युद्ध, पूर्ण विध्वंसक युद्ध (10) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का जन्म और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में इसका प्रभाव।

ये सब समझने से ऐसा लगता है कि शक्ति सन्तुलन का पतन हो चुका है और यह मृत्यु शैय्या पर लेटा है यानि, इसकी सम्भावना काफी कम हो गयी है परन्तु फिर भी कई लेखक इस सिद्धान्त को महत्व देते हैं। इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की केन्द्रीय सैद्धान्तिक धारणा मानते हैं।

Scanned with CamScanner